न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–297 / 2026

(चन्द्रमंडी थाना कांड संख्या–72 / 2011 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय जमुई

जगदेव पासवान बनाम बिहार सरकार

आदेश

03.06.2026 1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त **जगदेव पासवान** उम्र 30 वर्ष पिता झामा पासवान साकिन–घरवासन, पोस्ट माधोपुर, थाना–चन्द्रमंडी जिला जमुई की ओर से चन्द्रमंडी थाना कांड संख्या–72 / 2011 अन्तर्गत धारा 498ए भा0द0वि0 तथा धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में गिरफ्तारी की आशंका को लेकर अग्रिम जमानत हेतु दाखिल किया गया है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार पासवान तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को अग्रिम जमानत के बिन्दु पर सुना गया।

2. अभियोजन का कथानक संक्षेप में यह है कि सूचिका की शादी छः वर्ष पूर्व ग्राम घरवासन निवासी झामा पासवान का मंझिला लड़का जगदेव पासवान के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के साथ हुई थी। शादी में सूचक के पिता जी अपने आर्थिक स्थिति के उपहार में बर्तन पलंग कपड़ा घड़ी आदि दिये थे। सूचक का दाम्पत्य जीवन तीन वर्ष तक मधुर रहा लेकिन इधर तीन वर्षों से सूचिका का पति जगदेव पासवान उसे काफी प्रताड़ित कर बार बार मारपीट कर घर से बाहर निकाल दे रहा है। सूचिका का पति नया मोटरसाईकिल खरीदने के लिए मैके से पैसा मांग कर लाने के लिए कहता है। सूचिका को मारपीट एवं प्रताड़ित करवाने में मुख्य भूमिका सूचिका के ससुर के बड़े भाई नेपाल पासवान निभा रहे हैं। नेपाल पासवान बराबर कहते हैं कि यह लड़की मेरा लड़का से काफी उम्र की है इसका चाल चलन अच्छा नहीं है। इसे मारपीटकर घर से निकाल दो। मुझे मंत्री विधायक का पैरवी है मैं देख लूंगा, इसका बाप क्या बिगाड़ लेगा। नेपाल पासवान के कहने पर सूचक का ससुर झामा पासवान पे0 जिलेबी पासवान, सूचिका की सास उडवा देवी जौजे झामा पासवान, सूचिका का पति जगदेव पासवान पे0 झामा पासवान एवं सूचिका की बड़ी गोतनी आशा देवी जौजे बुद्धू पासवान सभी मिलकर सूचिका को बराबर मारते पीटते रहते हैं। लगभग पांच छः बार पंचायती भी हुई है लेकिन पंचायती में ठीक से रखने के लिए कहते हैं फिर वही हाल करते हैं। एक महीना पूर्व सभी मिलकर सूचिका को मारपीटकर घर से निकाल दिए हैं, धमकी दिए है कि मोटरसाईकिल खरीदने के लिए पैसा लेकर नहीं आई तो इस बार जिन्दगी से हाथ धोना पड़ेगा। शादी के छः साल बीत चुके हैं सूचिका को कोई संतान नहीं है तथा सूचिका को डर है कि इस बार सूचिका के पिता जी सूचिका को ससुराल पहुंचा देंगे तो ससुराल वाले सूचिका को मार देगें।

3. आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक द्वारा इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन न तो विद्वान सत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल किया गया है। यह कि आवेदक का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है। यह कि आवेदक को 41(2) सी0आर0पी0सी0 का लाभ नहीं दिया गया है। यह कि सूचिका एक विवादित पत्नी थी और वह हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित थी तथा जब पति, सास, ससुर उसे डॉक्टर से दिखाकर परहेज में रहने को कहते थे तो वो नासाज हो जाती थी। यह कि सूचिका के माता पिता उसे स्वेच्छापूर्वक अपने घर ले गए और एक महीने बाद इस झूठे वाद में आवेदक को फंसा दिया गया। यह कि आवेदक इस मुकदमा होने से पहले सूचिका को ईलाज के लिए आर्थिक सहयोग कर रहा था परंतु मुकदमा हो जाने के बाद आवेदक सूचिका को आर्थिक सहयोग करने में असमर्थ हो गया। यह कि हृदय रोग के कारण ही सूचिका की मृत्यु वर्ष 2013 में उसके माता पिता के घर ग्राम

लगातार.....

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–297 / 2026

(चन्द्रमंडी थाना कांड संख्या–72 / 2011 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय जमुई

जगदेव पासवान बनाम बिहार सरकार

03.06.2026

लगातार

रायचोर में हो गया। यह कि आवेदक को गांव के लोग गलत सलाह दिये कि लड़की मर गयी तो मुकदमा खत्म हो गया तथा उनके माता पिता के वकील साहब भी उचित सलाह समय पर नहीं दे सके जिसके कारण समय से सूचक अपना जमानत आवेदन पत्र श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल नहीं कर सके। यह कि आवेदक अपने पर लगाए गए सारे आरोपों से इन्कार करता है। यह कि आवेदक के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक न्यायालय के संतुष्टियोग्य बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है।

5. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नाजमद अभियुक्त है तथा प्राथामिकी 498ए भा0द0वि0 तथा धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। जमानत आवेदन के साथ मूल अभिलेख संलग्न हैं। यह वाद चन्द्रमंडी थाना कांड संख्या 72 / 11 दिनांक 09.09.2011 को पंजीकृत किया गया है तथा इस वाद में आरोप पत्र संख्या 146 / 13 दिनांक 30.11.2013 को धारा 498ए भा0द0वि0 धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अर्न्तगत आवेदक जगदेव पासवान को **फरार** दिखाते हुये समर्पित किया गया है। इस आवेदक द्वारा न तो कभी पुलिस को अनुसंधान में सहयोग किया गया है और न ही 2011 से जमानत आवेदन दाखिल करने के पूर्व तक आवेदक कभी न्यायालय में स्वेच्छा से उपस्थित हुआ। विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि यह अभिलेख आवेदक की उपस्थिति हेतु इतने लंबे समय से चला आ रहा है। आवेदक की उपस्थिति हेतु सम्मन, एन0वी0 डब्लू तथा प्रोसेस 82 द0प्र0स0 निर्गत किया जा चुका है। इस वाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2013 को धारा 498ए भा0द0वि0 एवं धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है और तब से अभिलेख आवेदक की उपस्थिति हेतु लंबित चला आ रहा है। जबकि इस वाद के अन्य अभियुक्त आवेदक के परिवार के सदस्य है और आवेदक को इस केस की तथ्यों एवं केस के स्थिति की पूर्ण जानकारी है। आवेदक के आचरण के कारण यह अभिलेख विगत लगभग 13 वर्षों से उपस्थिति हेतु लंबित है तथा 13 वर्षों बाद आवेदक द्वारा यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक के आचारण के कारण इस वाद में पीड़िता को अभी तक न्याय नहीं मिल सका है।

अतः इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद के इस प्रक्रम पर आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई